

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
स्कोप कॉम्प्लैक्स, कोर-IV, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

सं. आरईसी/सतर्कता/(II)319/2004/107

दिनांक 11 जून, 2004

परिपत्र सं. 3/2004

आरईसी (यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता) नियमों के तहत दौरे पर जाने वाले (प्रति संलग्न) कार्यकारी निदेशक और उनसे उच्च स्तर के अधिकारी "वास्तविक आधार पर " भोजन और आवास की सुविधाओं के हकदार हैं ।

अतः सभी हकदार अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले यात्रा भत्ता बिलों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उनकी सावधानीपूर्वक संवीक्षा कर लें। इससे बाद में होने वाली किसी भी उलझन से बचा जा सकता है। होटल के बिल की प्रति भी यात्रा भत्ता बिल के साथ लगाई जाए ।

इसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

ह0/-
(वी.के.शर्मा)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

वितरण:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी सूचनार्थ
2. निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), आरईसी
3. सभी कार्यकारी निदेशक, आरईसी